(120)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

बालचंद्र तनय ब्रजलाल अहिरवार , निग -619- II-16

निबासी ग्राम बड़ाघाट तहसील वल्देबगढ़,जिला टीकमगढ़

..............आवेदक

वनाम

म0प्र0 शासन ....अनावेदक

आवेदन/निगरानी अंतर्गत धारा ~~44/2~~ 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :—

आवेदक की ओर से निवेदन है:—

1— यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अनुविभगीय अधिका महोदय वल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0 क0 82/अपील/2008–09 में पारि आलोच्य आदेश दिनांक 25/03/2010 से परिवेदित होकर कर रहे हैं। माननी न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण के न से ग्राम बड़ाघाट स्थित भूमि खसरा नंबर 222/अ–19(4)/95–96 में पारित आ0 दि 27/09/1996 के द्वारा बंटन किया गया था, आवेदक उपरोक्त भूमि पर लंबे समय काबिज हैं, उपरोक्त्त भूमि पर काफी धन एवं रूप्या लगाकर उसे काफी उपजाउ ब लिया है।

3— यह कि हल्का पटवारी बड़ाघाट द्वारा एक प्रतिवेदन तहसीलदार वलदेब को प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर आवेदक के नाम प्रविष्टि फर्जी अतः उसे निरस्त किया जाबे। जिसको तहसीलदार द्वारा 115–116 के तहत सुनवाई लेकर अपने द्वारा प्र0 क0 32/अ–6अ/08–09 दर्ज करके अपने द्वारा पारित आ0 दि 26/06/2009 के द्वारा आदेश पारित करके वादग्रसत भूमि म0 प्र0 शासन के नाम द करने का आदेश पारित कर दिया। जिसकी अपील आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिक महोदय वल्देबगढ़ जिला टीकमगढ़ के न्यायायल में प्रस्तुत की गई थी, जो उनके द्वा

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 619-II/16 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-2-16	1— मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदक के अधिवक्ता ने यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी वल्देवगढ़, द्वारा प्रकरण क्रमांक 82/अपील/2008—09 में पारित आदेश दिनांक 25/03/2010 के विरूद्व प्रस्तुत की है। निगरानी के साथ सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। 2— आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये, निगरानी के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदक के अनुसार उसके नाम से ग्राम बड़ाघाट में भूमि खसरा नंबर 36/4/10/1 अ में से रकवा 1.214 हैक्टर का बंटन किया गया था, जिस पर आवेदक लंबे समय से काबिज है। हल्का पटवारी द्वारा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण 115—116 के तहत पंजीवद्व करके वाद भूमि पर से आवेदक का नाम पृथक करने का आदेश पारित कर दिया। अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि भूमि को उपजाउ बना लिया है, प्रकरण क्रमांक 222/अ—19/95—96 में पारित आदेश दिनांक 27/09/1996 के द्वारा बंटन किया गया था। 3— प्रकरण में तहसीलदार द्वारा 13 साल बाद प्रकरण दर्ज करके पारित आदेश दिनांक 26/06/2009 के द्वारा संहिता की धारा 115—116 के तहत कार्यवाही की है, जबकि उन्हें एक साल की प्रविष्टि सुधारने का अधिकार है। आवेदक की ओर से 2011 रानि 273, कमला सिंह वनाम शासन का न्याय दृष्टांत भी प्रस्तुत किया। प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तर्कों से सहमत होकर निगरानी स्वीकार की जाती है, दोंनों अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण की वाद भूमि पर आवेदक का नाम पूर्ववत दर्ज हो, प्रकरण का परिणाम दर्ज कर संचित अभिलेख हो। सदस्य	